न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 11 / 2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला–बारां (राज0 **(प्रार्थी)**

बनाम

1. छीतरलाल पुत्र चुन्नीलाल,
2. राधेश्याम पुत्र चुन्नीलाल
3. रामगोपाल पुत्र चुन्नीलाल
4. हटिया बाई पुत्री चुन्नीलाल
5. कोशल्या पुत्री चुन्नीलाल
6. प्रेमबाई पुत्री चुन्नीलाल
7. कल्लीबाई बेवा चुन्नीलाल, जातिगण चमार, निवासीगण फतेहपुर, तहसील बारां जिला बारां (राज0) **(अप्रार्थीगण)**

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. पेरोकार सरकार **(प्रार्थी)**
2. श्री नरेन्द्र सिंह हाड़ा अभिभाषक **(अप्रार्थीगण)**

आदेश दिनांक– 16.09.2022

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां ने रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम फतेहपुर में जमाबंदी सम्वत् 2064–67 आराजी खसरा नंबर 304 रकबा 0.06 है., 305 रकबा 0.48 है., 306 रकबा 0.10 है. एवं 307 रकबा 0.58 है. कुल किता 4 रकबा 1.22 है. किस्म नहरी I अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है। उक्त आराजी के मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत 2038–57 ग्राम फतेहपुर की आराजी हाल खसरा नंबर 304 रकबा 0.06 है., 305 रकबा 0.48 है., 306 रकबा 0.10 है. एवं 307 रकबा 0.58 है. कुल किता 4 रकबा 1.22 है. साबिक खसरा नंबर 153 मि. से कायम हुए हैं। साबिक खसरा नंबर 153 मुताबिक सेटलमेन्ट सम्वत 2015 के अनुसार ग्राम फतेहपुर की में खसरा नं. 153 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान सेटलमेन्ट सम्वत 2038–2057 में भू.प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने बन्दोबस्त कार्य मिलान क्षेत्रफल के अनुसार नवीन खसरा नं. 304 रकबा 0.06 है., 305 रकबा 0.48 है., 306 रकबा 0.10 है. एवं 307 रकबा 0.58 है. कुल किता 4 रकबा 1.22 है. किस्म नहरी I कायम किये जाकर अवैधानिक रूप से अप्रार्थीगण के पिता/पति चुन्नीलाल पुत्र भोला जाति चमार सा. देह के गैर खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी.रिट संख्या

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 11:09:50 IST
Reason: SelfAttested

1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत गै.मु. तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त आवंटन/नियमन को शून्य घोषित कर भूमि पूर्ववत तलाई राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुए परन्तु पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश नहीं होने पर जवाब अप्रार्थीगण बन्द किया जाकर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। अतः हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार की सुनकर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चिय किया।

3– हमने एक पक्षीय बहस पेरोकार सरकार की सुनी। बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम फतेहपुर में सेटलमेन्ट 2014–2023 के अनुसार ग्राम फतेहपुर की बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्वत 2015 में खसरा नं. 153 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान सेटलमेन्ट 2038–2057 में भू.प्रबन्ध विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार नवीन खसरा नं. 304 रकबा 0.06 है., 305 रकबा 0.48 है., 306 रकबा 0.10 है. एवं 307 रकबा 0.58 है. कुल किता 4 रकबा 1.22 है. किस्म नहरी I कायम किये जाकर अवैधानिक रूप से अप्रार्थीगण के पिता/ चुन्नीलाल पुत्र भोलू कौम चमार सा. देह के गैर खातेदारी में दर्ज कर दी, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त आवंटन/नियमन को शून्य घोषित कर भूमि पूर्ववत तलाई राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

4– हमने एक पक्षीय पेरोकार सरकार पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि ग्राम फतेहपुर में सेटलमेन्ट 2014–2023 के अनुसार ग्राम फतेहपुर की बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्वत 2015 में खसरा नं. 153 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई दर्ज रिकार्ड है, एवं सेटलमेन्ट 2038–2057 में भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार नवीन खसरा नं. 304 रकबा 0.06 है., 305 रकबा 0.48 है., 306 रकबा 0.10 है. एवं 307 रकबा 0.58 है. कुल किता 4 रकबा 1.22 है. किस्म नहरी I कायम किये जाकर अवैधानिक रूप से अप्रार्थीगण के पिता/ चुन्नीलाल पुत्र भोलू कौम चमार सा. देह के गैर खातेदारी में दर्ज कर दी। जिस वक्त भूमि आवंटित/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै.मु. तलाई सरकार दर्ज थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थीगण के पिता/पति को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 11:09:50 IST
Reason: SelfAttested

विरूद्व हुआ है। तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन/नियमन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

5— परिणामस्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, बारां का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण के वर्तमान में वाके ग्राम फतेहपुर में दर्ज आराजी खसरा नंबर 304 रकबा 0.06 है., 305 रकबा 0.48 है., 306 रकबा 0.10 है. एवं 307 रकबा 0.58 है. कुल किता 4 रकबा 1.22 है. किस्म नहरी I को जो मूल रूप से सेटलमेन्ट पूर्व खसरा नंबर 153 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई से बना है जिसका अप्रार्थीगण के पिता/ चुन्नीलाल पुत्र भोलू कौम चमार सा. देह को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार बारां को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

7— तहसीलदार, बारां को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दिनांक 16.09.2022 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर, बारां
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 11:09:50 IST
Reason: SelfAttested